तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4509/2004/अलवर** **महेशचन्द्र बनाम भौरेलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.2.25	**खण्डपीठ** **श्री नरेन्द्र गुप्ता, सदस्य** **श्री राजेश कुमार दडिया, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री रोहित सोनी, अभिभाषक अपीलांटस श्री विभोर गौड, अभिभाषक रेस्पो0 **<u>निर्णय</u>** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर दिनांक 14.07.2004 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 250 रकबा 3 बीघा वादी के कब्जा काश्त व खातेदारी के है। वादी/अपीलांट उक्त आराजी को जगीर के समय में पट्टे पर काश्त करता था एवं जागीर समाप्ति के बाद वादी/अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज था। परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलती से विवादित आराजी प्रतिवादीगण/रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। परीक्षण न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर करते हुये दावा एवं जवाबदावे के आधार पर चार तनकीयात कायम करते हुये अपन निर्णय व डिक्री दिनांक 15–02–1996 से वादी का वाद खारिज कर दिया। तत्पश्चात वादी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध एक नजरसानी याचिका उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08–12–1999 से खारिज करते हुये परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–02–1996 यथावत रखा। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 15–02–1996 के विरूद्ध वादी/ अपीलांटस ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14–7–2004 से यह कहते हुये कि नजरसानी के विरूद्ध जो अपील प्रस्तुत है वह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4509/2004/अलवर** **महेशचन्द्र बनाम भौरेलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलीय न्यायालय में पोषणीय नहीं है, कहते हुये खारिज कर दी। अपीलीय न्यायालय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही चला आ रहा है। जिसके साक्ष्य में अपीलांट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य गिरदावरी संवत 2009-13 प्रस्तुत की गई। जिसमें अपीलांट जरिये नामान्तरकरण संख्या 5 खातेदारी/काश्तकारी दर्ज है। जागीर समाप्ति के समय भी अपीलांट का कब्जा काश्त था। एवं उसके पश्चात भी विवादित भूमि पर अपीलांट निरन्तर कब्जे काश्त में चला आ रहा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त बिन्दू को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया है कि अपीलांट संवत 2014 में राजस्व अभिलेख में सिकमी काश्तकारी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह संवत 2014 से पूर्व से ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त करता आ रहा है। परन्तु भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज करते हुये प्रतिवादीगण को खातेदारी प्रदान कर दी गई। वादी/अपीलांट ने इस समर्थन में राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी इत्यादि प्रस्तुत की । परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 2020 आरआरटी (1) पेज 37, 2003 आरबीजे (10) पेज 118 व 2022 आरबीजे पेज 85 प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलांट/ वादी ने विवादित आराजी का जागीरदार द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4509/2004/अलवर** **महेशचन्द्र बनाम भौरेलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिये गये पट्टे के आधार पर खातेदार काश्तकार होने बाबत दावा पेश किया परन्तु उन्होने इस बाबत ऐसे कोई मौखिक दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी ने अपने वाद में संवत 2014 में शिकमी काश्तकार होने बाबत तर्क दिया लेकिन उनके द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि यह शिकमी कैसे हुये और सेटलमेंट के दौरान वह काबिज काश्त थे या नहीं? इस संबंध में न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। मात्र शिकमी के इन्द्राज होने से उसकी खातेदारी भूमि नहीं मानी जा सकती। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट द्वारा वाद खारिज करने के पश्चात उनके द्वारा नजरसानी याचिका परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे भी परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय से खारिज कर दी। इस आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं थी। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना उपयुक्त होगा कि वादी/अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-02-1996 के विरूद्ध वर्ष 2004 में अत्यधिक मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की थी। परन्तु मियाद के संबंध में उनके द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मियाद को क्षम्य करने बाबत प्रस्तुत नहीं किया गया। इस आधार पर भी वादी/अपीलांट की अपील खारिज की जाने योग्य थी जिसे अपीलीय न्यायालय ने खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की। बहस के अन्त में विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष है। अतः अपील खारिज की जावे। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया। प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी/अपीलांट का वाद खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का था।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4509/2004/अलवर** **महेशचन्द्र बनाम भौरेलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी ने अपने वाद में यह अंकित किया कि वादी/अपीलांट जागीर के समय से ही पटटे पर काश्त करता आ रहा है एवं जागीर समाप्ति के बाद भी वादी/अपीलांट विवादित आराजी पर काबिज काश्त था परन्तु वादी/अपीलांट द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी जागीर की होने एवं उसे पट्टे पर प्राप्त हुयी हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजी यदि अपीलांट को पटटे पर प्राप्त हुई थी तो जागीर समाप्ति के 3 वर्ष के अन्दर उनके द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु चाराजोही क्यों नहीं की गई। विवादित आराजी के संबंध में जो दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उसमें खातौनी संवत 2014-2033 में विवादित आराजी मन्ता पुत्र मोंगरलाल जाति बाह्मण साकिन देह बतौर कृषक दर्ज है एवं संवत 2021 में विवादित आराजी मन्ना मुन्दर्जे खाता 122 मा0महेश पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राह्मण साकिन देह शिकमी साल 5 एवं मन्ना पुत्र भौरेलाल ब्राह्मण साकिन देह खातेदारी के नाम दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2030-33 एवं 2048 में वादी/अपीलांट शिकमी दर्ज है परन्तु विवादित आराजी का खातेदार प्रतिवादीगण/रेस्पो0 है। वादी/अपीलांट का विवादित आराजी के संबंध में मुख्य कथन यह रहा है कि विवादित आराजी पर वह पट्टे पर काश्त करता आ रहा है तथा कालान्तर में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी/अपीलांट का नाम बतौर शिकमी काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड रहा है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वादी/अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में विवादित आराजी के बाबत पट्टा जारी होने का कोई दस्तावेजी प्रमाण परीक्षण न्यायालय में पेश नहीं किया। वही दूसरी तरफ जहां विवादित आराजी पर बतौर शिकमी काश्तकार दर्ज होने का कथन किया गया है। विधि में शिकमी काश्तकार का अभिप्राय यह रहा है कि खातेदारी काश्तकार द्वारा अपने जोत को निर्धारित समय हेतु बतौर किराये पर/शिकमी तौर पर भूमि प्रदान की गई है। ऐसीस्थिति में शिकमी काश्तकार को विधि के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुये विचारण न्यायालय ने कालान्तर में अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4509/2004/अलवर** **महेशचन्द्र बनाम भौरेलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खारिज किया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाना उपुर्यक्त होगा कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा नजरसानी के विरूद्ध अपील पोषणीयता के संबंध में जो निष्कष दिया है यद्यपि वह विधि सम्मत नहीं है। परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा मामले के गुणावगुण पर भी निर्णय पारित करते हुये सभी बिन्दुओं पर विचार किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरूप ही समवर्ती निर्णयों के माध्यम से अपीलांट के वादग्रस्त भूमि पर अधिकारों की पुष्टि नहीं मानते हुये क्रमश वाद पत्र व अपील को खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलांट की अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है। प्रकरण में जहां तक विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते है। परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ दिनांक 15.02.1996 व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर दिनांक 14.07.2004 बहाल रखे जाते है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजेश कुमार दडिया) (नरेन्द्र गुप्ता) सदस्य सदस्य	